कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0आई0यू0–2,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट,।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

/फैक्स नं0 05963–253127 ई–मेल:– eepmgsykapkot@rediffmail.com

पत्रांकः– 983 /पी0एम0जी0एस0वाई0/2022–23, दिनांक :– 4-02-2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कपकोट तेजम मोटर मार्ग से किरौली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.25 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/28919/2017)

सन्दर्भः– **भारत सरकार का पत्रांक संख्या 08 बी0/यू0सी0पी0/06/113/2018/एफ0सी0/2329, दिनांक 17.01.2020**

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कपकोट तेजम मोटर मार्ग से किरोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.25 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	**सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ऑख्या**
01	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.50 है0 ग्राम–बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपड़ एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) रू0 13,79,390.00 (तेरह लाख उनासी हजार तीन सौ नब्बे) मात्र जमा कर दी गयी है। ऑनलाईन जमा की गई धनराशि के चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नकः–01)** उक्त सिविल भूमि को जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। **(संलग्नकः–02)**
02	Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पद्दा में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	उक्त भूमि जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक संख्या 832/छब्बीस–16 वन/2019–20,दिनांक 13.07.2020 से हस्तान्तरित/आवंटित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा –4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है। **(संलग्नकः–03)**
03	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0,दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रू0 14,78,250.00 (चौदह लाख अठहत्तर हजार दो सौ पचास रू0 मात्र) 2.25 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा करा दिया है।

		(संलग्नकः–04)
04	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता/शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नकः–03)**
05	प्रयोक्ता अभिकरण यह सुनिश्चित करें की जमा की गयी सभी निधियॉ (CA Cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गए चालान के माध्यम से द्वारा अचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) रू0 13,79,390.00 (तेरह लाख उनासी हजार तीन सौ नब्बे) मात्र जमा कर दी गयी है तथा 2.25 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) रू0 14,78,250.00 (चौदह लाख अठहत्तर हजार दो सौ पचास रू0 मात्र) ऑनलाईन जमा करा दिया है।
06	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाऐगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 254 से अधिक न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 254 Trees न्यून्तम वृक्षों के पातन हेतु सहमत है। **(संलग्नकः–04)**
07	राज्य सरकार प्रस्ताव की हॉर्ड कॉपी में सभी मूल दस्तावेजों को सहमत कर इस कार्यालय को प्रेषित करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव की हॉर्ड कॉपी में समी मूल दस्तावेज संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः – चार–चार प्रतियों में।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0 पी0आई0यू0,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट।